



# बिहार पशु चिकित्सा संघ

मुख्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

Email- bvapatna@gmail.com



डॉ० राय चन्द्र पासवान  
अध्यक्ष  
मो० 9471867310

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता  
प्रधान महासचिव  
मो० 7488601083

पत्रांक- -69

दिनांक- -29-07-2020

## महासचिव

डॉ० दिलीप कुमार  
मो० 9801881887

## उपाध्यक्ष

डॉ० शोभा कुमारी  
मो० 7858012676

डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला  
मो० 6203955586

डॉ० सुधांशु कुमार  
मो० 9939365429

डॉ० अंजनी कुं सिन्हा  
मो० 9334164261

## संगठन सचिव

डॉ० अनिल कुमार मिश्र  
मो० 8002460154

## कोषाध्यक्ष

डॉ० जितेन्द्र प्रसाद  
मो० 9431033631

## वित्त सचिव

डॉ० प्रमोदानंद लाल दास  
मो० 9431472705

## अंकेशक

डॉ० विजय प्रसाद मंडल  
मो० 9430947979

## तकनीकी सचिव

डॉ० सीमु  
मो० 9471642606

## प्रचार सचिव

डॉ० अंशु कुमार  
मो० 9572165500

## क्षेत्रीय सचिव

डॉ० सत्य नारायण यादव  
मो० 9204908025

डॉ० संजीत कुमार  
मो० 7070521479

डॉ० पंकज कुमार  
मो० 8178451672

डॉ० करुणा भारती  
मो० 9905277744

डॉ० साकेत कुमार  
मो० 9471404196

डॉ० राजशेखर  
मो० 7979085551

डॉ० निरंजन कुमार  
मो० 9162394546

डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी  
मो० 7091974830

सेवा में,

सचिव,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

विषय :- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के पशुपालन अन्तर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा माह जून, 2020 में पशुचिकित्सकों के तबादले से संबंधित अधिसूचना निर्गत किया गया है, जिसमें सहायक निदेशक (पशु विकास), पशु शल्य चिकित्सक, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी आदि का स्थानांतरण किया गया है, परन्तु उनके स्थान पर किसी का पदस्थापन नहीं किया है। रजिस्ट्रार, बिहार पशु चिकित्सा परिषद्, पटना के कार्यालय का कार्य भी लंबित है।

ज्ञातव्य हो कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन गठित क्षेत्रीय कार्यालयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यहित में वित्त विभागीय पत्र संख्या - 4028 वि०, दिनांक 07.05.2014 की कंडिका - 4 (ग) (i) एवं (ii) तथा बिहार कोषागार संहिता - 2011 के नियम - 84 के तहत स्थायी पदस्थापन होने तक स्थापना मद के कर्मियों के वेतन निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने की परम्परा रही है; परन्तु माह समाप्ति होने पर है, इसके बावजूद विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने की प्रक्रिया लंबित है।

अतः महोदय से उक्त के आलोक में बिहार पशु चिकित्सा संघ का विनम्र अनुरोध है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के पशुपालन अन्तर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने की महत्ती कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

*B. Mukta*  
29.07.20

(डा० विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव